FUTURE IS HERE

पत्राँकः– YEIDA/उद्योग/2022/11046

दिनांक 13/10/2022

कार्यालय–आदेश

शून्य काल से सम्बन्धित जारी संशोधित कार्यालय–आदेश संख्या– YEIDA/उद्योग/2022/10916, दिनांक 31.08.2022 के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 21.09.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि शून्य काल की अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2020 का (02 वर्षों हेतु) लाभ ऑवंटियों को प्रदान करने हेतु निम्नवत् गणना की जानी हैः–

1. दिनांक 31.03.2020 तक आगणित समस्त देय धनराशि को चार बराबर–बराबर छमाही किस्तों में वसूल किये जाने के स्थान पर उक्त आगणित देय धनराशि पर समय–समय पर प्रभावी ब्याज दर आरोपित करते हुए दिनांक 31.08.2022 को समस्त देय धनराशि कैपिटलाइज कर उस धनराशि को चार छमाही बराबर–बराबर किस्तों में वसूल किया जाना होगा।

यह आदेश योजना संख्या– YEA/IND2000(2013)-01, YEA/IND2000(2013)-02 एवं YEA/OPEN-IND(2013)-01 पर प्रभावी होगा तथा योजना संख्या–YEA/OPEN-MSU(2014)-01 व MLU/2015/03 पर प्रभावी नही होगा।

भवदीय,

(विशम्भर बाबू)
महाप्रबंधक (वित्त)

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. उप महाप्रबंधक (वित्त) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक महाप्रबंधक/प्रबंधक (उद्योग) को, अनुपालनार्थ।
4. सहायक महाप्रबंधक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि शून्य काल से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर में उक्तवत् संशोधन करना सुनिश्चित करें।

महाप्रबंधक (वित्त)

Scanned with OKEN Scanner